न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम संख्या 67/2023(GCMS 2023/84)
राज्य सरकार जरिये राकेश सोनी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. **नारायण सिंह** पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 43 वर्ष निवासी राजियासर, तहसील सूरतगढ़, वाहन चालक आरजे 13 जीबी 5659
2. **भवानी सिंह** पुत्र सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झूंझनू, वाहन चालक आरजे 14 जीएस 5574
3. **विजय मिश्रा** पुत्र धर्मराज जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 19/जी–2 गहलोत नगर नागल जैसा बोरा निवारू जयपुर ट्रांसपोर्ट मैसर्स बजरंगबली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर
4. **मैसर्स परम इन्टर प्राईजेज जामनगर** एवं मैनेजर श्री राठौड़ रविराज सिंह पुत्र राठौड़ उम्मेज सिंज जाति राजपूत उम्र 29 निवासी रणबांका हाउस दरबारसेनी, नजदीक महालक्ष्मी मन्दिर, सिमर तालुका उन, जिला गीर सोमनाथ, गुजरात
5. **रिलायंस इन्डस्ट्री लिमिटेड, Village Meghpar/Padana, Taluka: Lalpur, District Jamnagaqr[Gujrat**
6. **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ़,** सुपर थर्मल पावर स्टेशन रायांवाली सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

06.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता श्री राजेश ग्रेवाल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल उपस्थित हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को दिनांक 18.01.2024 सुना गया। अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी किन्तु उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत द्वारा दिनांक 19.01.2024 को अपना जवाब पेश किया गया, शामिल पत्रावली किया गया है।

संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:

स्टेट की ओर से श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के त[illegible] पत्र प्रस्तुत किया था कि दिनांक 27.03.2023 को थानाधिकारी, राजियासर, चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी थर्मल से दूरभाष एवं प्राप्त पत्र की सूचना पर पुलिस चौकी थर्मल, तहसील सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पर मन राकेश सोनी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बमराह प्रवर्तन स्टाफ के जाचं हेतु पहुंचे। मौके पर पुलिस चौकी, थर्मल के परिसर में दो वाहन टैंकर आरजे 13—जीबी/5659 एवं आरजे—14/जीएच 5574 खडे थे। जाचं में पाया कि वाहन संख्या आरजे 13/जीबी 5659 का चालक नारायण सिह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजियासर तहसील सूरतगढ़ उपस्थित था। श्री नारायण सिंह ने बताया कि उक्त वाहन में 24000 लीटर डीलज ऑयल भरा हुआ है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर से भरकर सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ में आपूर्ति देने हेतु लाया था। मौके पर वाहन सील बंद है। वाहन के वाल्व बॉक्स, लीवर बॉक्स एवं टैंकर के उपर बने पांचो कम्पार्टमेंट पर रिलायंस मार्क की सील संख्या 873251 कुल 08 सील लगी है। थाना परिसर में खड़े दूसरे वाहन संख्या आरजे—14/5574 का चालक भवानी सिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झूझनू उपस्थित था। श्री भवानी सिंह ने बताया कि उक्त वाहन में 24000 लीटर लाईट डीजल ऑयल भरा हुआ है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर से भरकर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में आपूर्ति देने हेतु लाया था। मौके पर वाहन सील बंद है। वाहन के वॉल्व बाक्स, लीवर बॉक्स एवं टैंकर के उपर बने पांचो कम्पार्टमेंट पर रिलायंस मार्क की सील संख्या 873218 कुल 08 सीले लगी है। मौके पर दोनों वाहन चालकों द्वारा दोनों वाहनों के इनवाईस उपलब्ध करवाये गयें वाहन संख्या आरजे—13/जीबी 5659 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर द्वारा इनवाईस संख्या 24183001200776 दिनांक 24.03.2023 जारी किया जाकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रायांवाली, सूरतगढ हेतु रवाना किया जाना पाया। इस प्रकार वाहन संख्या आरजे—14/जीएच 5574 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनकर द्वारा इनवाईस स[illegible] 2[illegible]3001200867 दिनांक 24.03.2023 जारी किया जाकर रा[illegible] उत्पादन निगम लिमिटेड सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन, रायांवाली, सूरतगढ़ [illegible] रवाना किया जाना पाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दोनों इनवाईस में भेजे जाने वाले सामान का नाम लाईट डीजल ऑयल बैंच संख्या एफ 3601 तथा मात्रा 24–24 केएल अंकित है। कार्यालय उप मुख्य अभियंता (सीएण्डएफ) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन रायावाली सूरतगढ से पत्र दिनांक 28.03.2023 से प्राप्त सूचना अनुसार बताया गया कि कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता (फ्यूल) जयपुर के पत्र दिनांक 12.12.2022 से मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड Village Meghpar/Padana, Taluka: lalpur, District Jamnagqar, Gujrat से लाईट डीजल ऑयल प्राप्त करने हेतु अनुबंध किया हुआ है। इस प्रकार सूरतगढ थर्मल पॉवर स्टेशन, सूरतगढ़ से एलडीओ की जांच हेतु कार्यालय उप मुख्य अभियंता(सी एण्ड एफ) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन रायावाली सूरतगढ़ के पत्र दिनांक 15.12.2022 से चार सदस्य जांच दल गठित है। थर्मल चौकी सूरतगढ़ में खड़े किये गये दोनो वाहनों के इनवाईस भी प्राप्त किये गये। सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ एवं थाना प्रभारी, पुलिस थाना राजियासर की इस सूचना पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर एवं बॉम्बे से कम्पनी का जांच दल आ रहा है। अतः आगामी कार्यवाही जांच दल के समक्ष किया जाना उचित होगा। दिनांक 01.04.2023 को रिलायंस इन्डस्ट्रीज के श्री संजीव श्रीवास्तव जीएम लोजेस्टीक श्री विशाल जोशी एरिया मैनेजर राजस्थान एवं श्री मनीष कृपलानी एरिया मैनेजर उपस्थित थे। परन्तु कंपनी के जांच दल ने जांच में किसी प्रकार का सहयोग नही किया। मौके पर दोनों वाहन चालक भी दिनांक 01.04.2023 के दौरान जांच उपस्थित नहीं थे। दोनों वाहनों के ट्रांसपोर्टरों के मैनेजर उपस्थित थे। जिनसे वाहनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। दोनों टैंकरों की जांच स्वतंत्र गवाह के साथ–साथ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ का चार सदस्य जांच दल वाहन संख्या आरजे 14 / जीएच 5574 के ट्रांसपोर्टर मैसर्स बजरंगबली ट्रांसपोर्ट कम[illegible] के मैनेजर श्री विजय मिश्रा पुत्र धर्मपाल मिश्रा जाति ब्राह्मण नि[illegible] गहलोत नगर नागल जैसा बोरा निवारू जयपुर एवं वाहन संख्या आ[illegible]–13 / जीबी 5659 के ट्रांसपोर्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैसर्स परम इन्टर प्राईजेज जामनगर के मैनेजर श्री राठौड रविराज सिंह पुत्र राठौड उम्मेद सिह जाति राजपूत उम्र 29 निवासी रणबांका हाउस दरबारसेरी, नजदीक महालक्ष्मी मन्दिर, सिमर तालुका उन, जिला गीर सोमनाथ, गुजरात एवं चौकी प्रभारी श्री पृथ्वीराज एवं प्रवर्तन स्टाफ की उपस्थिति में जांच शुरू की गई। वाहन संख्या आरजे–13/जीबी 5659 के वाल्व बाक्स लीवर बाक्स टैंकर के उपर पांचों कम्पार्टमेंट पर रिलायंस मार्का की सील संख्या 873251 सही हालत में सीले लगी हुई थी। वाहन के पांच कम्पार्टमैंट में आगे से पीछे की ओर आने के क्रम में मार्क ए, बी, सी, डी, ई अंकित किया गया। सभी आठों सीलों को तोडने के बाद ट्रांसपोर्टर श्री राठौड रविराज सिंह द्वारा वाहन में रखी हुई डीप रोड से टैंकर के पांचो कम्पार्टमैंट से भरे पेट्रोलियम पदार्थों को भौतिक सत्यापन करने पर 24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ सही मात्रा में पाया गया। कम्पार्टमैंट ए के पेट्रोलियम पदार्थ में पानी की जांच हेतु डीप रोड पर वारटर फाइंडिग पेस्ट लगाकर जांच करने पर कम्पार्टमैंट ए में प्रथम दृष्टया पानी होना पाया गया। इस प्रकार कम्पार्टमैंट बी एवं ई की जांच करने पर प्रथम दृष्टया पानी होना पाया गया। ये तीनों कम्पार्टमैंट 5000–5000 लीटर क्षमता के है। चूंकि प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थ में पानी पाये जाने पर नमूना लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पेट्रोलियम पदार्थ एवं संदिग्ध पानी युक्त पाये जाने पर दोनों वाहनों टैंकर संख्या आरजे–13/जीबी 5659 एवं आरजे–14/5574 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर मौके पर ही चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार नमूना लेने के बाद बचा हुआ संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक वाहन का 23887.5 लीटर कुल 47775 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को भी मय जब्त दोनों वाहनों के चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर दोनों वाहनों की चाबी एवं वाहनों में लगाये गये सीलों को के साथ ही मौके पर ही चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज की सुपुर्दगी में दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार उक्त वर्णित व्यक्तियों व फर्मों द्वारा लाईट डीजल ऑयल में मिलावट एवं लाईट डीजल ऑयल के स्थान पर पानी का उपयोग/भण्डारण/आपूर्ति करने एवं उसमें सहयोग करने का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी विलायक, रेफिनेट, और स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा सामग्री 47775 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ मय 02 वाहन टैंकर संख्या आरजे–13/जीबी 5659 एवं आरजे– 14/जीएच 5574 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मैसर्स बजरंग बली ट्रांसपोर्ट कम्पनी को मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड़ से लाईट डीजल ऑयल प्राप्त करने हेतु अनुबंध किया हुआ है। टैंकर आरजे 13 जीबी 5659 भी किराया पद्धति पर अप्रार्थी संख्या 01 नारायण सिंह के मालिकाना हक के टैंकर को रिलायंस इण्डस्ट्रीज के उत्पाद को परिवहन करने के लिये रिलायंस इण्डस्ट्रीज के परिवहन विभाग को सुपुर्द किया हुआ है। रिलायंस इण्डस्ट्रीज द्वारा उक्त वाहन को अपनी व्यवस्था अनुसार समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने उत्पाद परिवहन करने हेतु टैंकर को भेजता है। उक्त वाहन का ड्राईवर वाहन का मालिक अप्रार्थी संख्या 1 नारायण सिंह ही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म बजरंब बली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर में वेतनभोगी ड्राईवर है। टैंकर आरजे 14 जीएच 5574 रिलायंस इण्डस्ट्रीज के उत्पाद को परिवहन करने के लिये रिलायंस इण्डस्ट्रीज के परिवहन विभाग को अनुबंधित किया हुआ है। रिलायंस इण्डस्ट्रीज द्वारा उक्त वाहन को अपनी व्यवस्था अनुसार समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने उत्पाद परिवहन करने हेतु टैंकर को भेजता है जो रिलायंस इण्डस्ट्रीज से अनुबन्धित है। दिनांक 27.03.2023 को वाहन को परिवहन अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा ही किया जा रहा था। उक्त माल रिलायंस इण्डस्ट्रीज के द्वारा भरकर सील किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

था जो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सील व तोल जांच कर प्राप्त किया गया था। उक्त माल को सील हालत में यथावत गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 02 की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 27.03.2023 को थानाधिकारी द्वारा निरूद्ध किये गये अप्रार्थी संख्या–1 के वाहन आरजे 13 जीबी 5659 एवं अप्रार्थी संख्या 02 के वाहन आरजे 14 जीएच 5574, जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा रिलायंस इण्डस्ट्रीज से माल वाहन के ठेके के आधार पर भेजे गये लाईट डीजल ऑयल को परिवहन करते हुए दिनांक 24.03.2023 को जो रिलायंस इण्डस्ट्रीज कम्पनी द्वारा सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ के लिये राज्य विद्युत उत्पादन विभाग, जयपुर के आदेशानुसार लाईट डीजल ऑयल मात्रा 24000 लीटर टैंकर में भरकर सील लगाकर जामनगर से भिजवाया गया जिसे थानाधिकारी राजियसर द्वारा पदार्थ में मिलावट के आधार पर रोका गया तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच कर जब्त किया गया। उक्त वाहन में लाईट डीजल ऑयल सही मात्रा 24000 लीटर था एवं सभी सीले 873251 एवं 873218 सही मात्रा में पाई गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा भेजे गये लाईट डीजल ऑयल का टैंकर ऑल इण्डिया परमिट एवं ज्वलनशील पदार्थ 24000 लीटर को परिवहन करने के लिए अधिकृत है। वरवक्त मौके पर जो तरल पदार्थ पाया गया है वह लाईट डीजल ऑयल है और कम्पनी फर्म परम इन्टरप्राईजेज जामनगर के माध्यम से मैसर्स परम इन्टरप्राईजेज, जामनगर के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि लाईट डीजल ऑयल रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर द्वारा सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ को उसकी मांग के अनुरूप भिजवाया जा रहा था। यदि किसी प्र[illegible] [illegible]ल में त्रुटि अथवा मिलावट पाई गई है तो क्रेता सावधान [illegible] पावर स्टेशन द्वारा अथवा सीलों से छेड़छाड किये जाने की सूरत में [illegible]ायंस इण्डस्ट्रीज के आपस का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आन्तरिक मामला है। जिला रसद अधिकारी, थानाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या –5 व 6 के मध्य भी एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया हुआ है जिसमें अप्रार्थी संखय–5 द्वारा अप्रार्थी संखय–4 की फर्म के माध्यम से अप्रार्थी संख्या–1 के वाहन से भेजे गये माल को अप्रार्थी संख्या–6 द्वारा संतुष्टिदायक सैम्पल जांच केरने के पश्चात व सीलों का अवलोकन करने के बाद ही माल को सुपुर्दगी पर लिया जायेगा। यदि किसी प्राकर की कोई त्रुटि परिवहन में अथवा माल में पाई जाती है तो अप्रार्थी संख्या–6 सूरतगढ़ थर्मल पावर माल को पुनः अप्रार्थी संख्या –1 के वाहन से अप्रार्थी संख्या–4 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या –5 को लौटा सकता है। ऐसी सूरत में अनुबन्ध के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। जिसमें राज्य सरकार अथवा जिला रसद अधिकारी एवं पुलिस को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही रकने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि ऑर्डर 2000 में भारत सरकार द्वारा क्लॉज–7 के बाद कोई अनुसूची प्रकाशित नहीं किया था जिससे यह साबित हो सके कि आदेश, 2000 में कौन से पदार्थ शामिल रहेंगे। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2001 को एक असाधारण अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई जिसके जरिये क्लॉज–7 के बाद एक अनुसूची जोडी गई तथा एन्ट्री 15 पर प्रथम बार लाईट डीजल ऑयल को दर्शाया गया है। जिसे भारत सरकार द्वारा धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अधिसूचना दिनांक 01.11.2007 जारी की गई जिसके तहत उपरोक्त इंट्री–15 को दिनांक 01.11.2007 से विलोपित कर दी गइ है। इसलिए जिला रसद अधिकारी को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार हीं नहीं है [illegible] का समस्त कृत्य क्षेत्राधिकार के बाहर होने से वर्तमान प्रार्थना पत्र [illegible] क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान में यह भी तय नहीं हुआ कि उक्त जब्तुशदा लाईट डीजल ऑयल से भिन्न कुछ और है जबकि रिलायंस इण्डस्ट्रीज के इन्वायस में स्पष्ट उल्लेखित है कि यह लाईट डीजल आयॅल है। जिला रसद अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बढ़कर कार्यवाही की है। अप्रार्थी कम्पनी द्वारा किसी प्रकार से आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी कम्पनी का टैंकर ऑल इण्डिया परमिट एवं ज्वलनशील पदार्थ 24000 लीटर को परिवहन करने हेतु अधिकृत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त पदार्थ ज्वलनशील व शीघ्र क्षय होने वाला है, उसके बावजूद भी दिनांक 18.04.2023 से आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं अर्थात माल टैंकर में सुरक्षित व शीघ्र ज्वलनशील तथा क्षयकारी नहीं है। उक्त माल का फ्लैश प्वाईंट व डेन्सिटी भी ऐसी नही है जो अत्यन्त ज्वलनशील व शीघ्र क्षयकारी हो। इसलिए अप्रार्थी कम्पनी के उपरोक्त वाहन एवं लाईट डीजल आयॅल को ट्रासंपोर्ट कम्पनी के हक में रिलिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता श्री राजेश ग्रेवाल उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उनके द्वारा दिये गये जवाब को ही उनकी बहस समझा जावे। अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 के नियमों में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि आदेशित माल की सपुद्रगी से पूर्व क्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। सामान तेल टेंकरों को थर्मल प्रशासन द्वारा ना तो प्राप्त किया था और ना ही इस सामान का कोई भुगतान विक्रेता को किया गया था, इसलिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एसटीपीएस पक्ष की कोई जिम्मेदारी साबित नहीं होती है। यह सामान तेल टेंक[illegible]परिसर से बाहर, बिना थर्मल प्रशासन की सुपुर्दगी के, पुलि[illegible]थे। यह माल विक्रेता की जोखिम पर था। इसलिए इस प्रकरण से रा[illegible]थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एसटीपीएस से हटाये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 5 –रिलायंस इंडस्ट्री लि. की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने दिनांक 19.01.2024 को प्रेषित जवाब में अंकित किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाईनरी द्वारा टैंकरों में लोड करने से पहले एलडीओ की गुणवत्ता और घनत्व की निगरानी के लिए कम्पनी के पास लोडिंग टर्मिनल पर मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण के साथ लोडिंग की जाती है। इसमें पानी की मात्रा सहित सभी पहलुओं में नियमित परीक्षण, विश्वसनीय तरीकों और अत्याधुनिक प्रक्रिया उपयोग कर किया जाता है। टैंकर लोड करने से पहले निरंतर निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसमें निर्दिष्ट एएसटीएम (अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स) और आईएस 15570 गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एलडीओ का नमूनाकरण और विश्लेषण किया जाता है। उत्पाद प्रमाणीकरण रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे उन्नत एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। लोडिंग टर्मिनल से आपूर्ति किए गऐ एलडीओ सहित सभी उत्पाद मुक्त हो किसी भी जल प्रदूषण और एलडीओ को बीआईएस मानक आईएस 15770 का अनुपालन करते हुए परीक्षण किया जाता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीदज की जामनगर रिफाईनरी द्वारा वाहन लोडिंग करने हेतु विश्वसनीय लोडिंग टर्मिनल स्थापित किया हुआ है जो 100 रेक टैंकरों को स्वःचालित लोडिंग सिस्टम के द्वारा लोड करने में सक्षम है। कम्पनी द्वारा लोडिंग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि टैंकर परिवहन के लिए कम्पनी प्रणाली से अधिकृत व पंजीकृत है तथा कम्पनी के सिस्टम में मौजूद डेटा के अनुसार भार ले जाने के लिए टैंक/ट्रकों के वैध दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। जांच अधिकारी द्वारा पहले अपनी समस्त जांच लोडिंग [illegible] लोडिंग तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा मौका निरीक्षण के पश्चात् यह निर्धारित करेगा कि कम्पनी के भाग पर लापरवाही हुई अथवा कम्पनी से बाहर चोरी की नियत से उक्त कृत्य ड्राईवरों द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि कम्पनी द्वारा दिनांक 23.03.2024 से 25.03.2023 तक छः टैंकर लोड किये तथा उक्त बैच तीन अलग–अलग ग्राहकों के लिये थे। उक्त बैच से गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों को आपूर्ति की गई। कम्पनी को अन्य लोड टैंकर में से किसी के द्वारा पानी की मात्रा या किसी अन्य गुणवत्ता पैरामीटर के अनुसार माल नहीं होने की कोई शिकायत नहीं की गई हैं कम्पनी के द्वारा आरोपित दोनों टैंकरों को वैध मानकों के अनुसार लोड किया गया था तथा जामनगर रिफाईनरी से उक्त टैंकरों में कोई पानी या अन्य पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता, इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई मिलावट टैंकरों में पायी जाती है तो कम्पनी की रिफाईनरी से निकलने के बाद ग्राहक तक माल पहुंचाने तक की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ट्रांसपोर्टर की होती है तथा उक्त कृत्य की जांच किये बिना जांच अधिकारी द्वारा कम्पनी को नोटिस प्रेषित किया गया है जो विधि अनुकुलन नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि टैंकरों जिनको जिला रसद अधिकारी द्वारा पकड़ा गया, उक्त टैंकर में वी.टी.एस. सिस्टम लगा हुआ था जिसमें टैंकरों की लोकेशन ज्ञात होती रहे। वाहन **संख्या आरजे 13 सीजी 5656 की वीटीएस ट्रेकिंग दिनांक 26.03.2023 को 19:08 बजे से बंद हो गई** इससे स्पष्ट है कि टैंकर ड्राईवरों द्वारा जान बुझकर वी.टी.एस. सिस्टम बंद किया गया, जिससे वाहन ट्रेक न हो सके। इसी प्रकार वाहन **संख्या आरजे 14 जी एच 5574 की वी.टी.एस. ट्रेकिंग दिनांक 27.03.2023 को 00:35 बजे बाद की दर्ज नही** है जिससे यह प्रमाणित है कि ड्राईवरों द्वारा वी.टी.एस. सिस्सटम को बंद किया गया जिससे वाहन ट्रेक न हो सके तथा दिनांक 28.03.2023 को उक्त दोनों वाहन पकड़े गये जिनकी सैम्पलिंग दिनांक 01.04.2023 को की गई जो भी ड्राईवरों की [illegible]ति में की गई जबकि विधि अनुसार सैम्पलिंग के समय अ[illegible] जानी चाहिए थी। जांच अधिकारी द्वारा विधि की पालना किये बिना तथा सम्पूर्ण जांच किये बिना ही कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। कम्पनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा ट्रांसपोर्टरों के तथा ट्रक ड्राईवरों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसलिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों के अनुसार कम्पनी को जारी उक्त नोटिस निरस्त किया जावे तथा कम्पनी को क्षतिकारित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 चालक नारायण सिंह एवं वाहन संख्या आरजे 14 जीएस 5574 चालक भवानी सिंह था। उक्त दोनों वाहनों में 24000 लीटर लाईट डीजल आयॅल भरा हुआ था, जो रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर से भरकर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ में आपूर्ति देने हेतु लाया था। दोनों वाहनों में पानी की शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 में 24000 पेट्रोलिमय पदार्थ था जो पांच खानों में विभक्त था, जिसके प्रत्येक खाने से नमूना प्राप्त कर जांच हेतु आरएफएसएल, जोधपुर भेजा गया। इसी प्रकार दूसरा वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 में भी 24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ था जो भी पांच खानों में विभक्त था। जिसके भी प्रत्येक खाने से नमूना प्राप्त कर जांच हेतु आरएफएसएल, जोधपुर भेजा गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त नमूनों की रिपोर्ट क्षेत्रिीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के रिपोर्ट संख्या RFSL(JOD)/2161/CAE/23/23 दिनांक 03.01.2024 के अनुसार वाहन संख्या टैंकर आरजे 13 जीबी 5659 में कुल 24000 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ में से 15000 लीटर पानी होना पाया गया इसी प्रकार वाहन संख्या टैंकर आरजे 14 जीएच 5574 में 24000 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ में से 5000 लीटर पानी होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: Self Attested

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 में 15000 लीटर एलडीओ को अवैध विक्रय कर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तथा वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 में से 5000 लीटर एलडीओ को अवैध विक्रय/खुर्द–बुर्द कर दिया गया। एलडीओ के स्थान पर पानी का भण्डारण किया गया। दोनों वाहन चालक/दोनों वाहन फर्मों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन करने का कोई अवैध अनुज्ञा पत्र/परमिट/अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनों वाहन चालक/दोनों वाहन फर्मों द्वारा पट्रोलियम पदार्थ का अवैध विक्रय किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विलायक रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187 पर दिये गये पेट्रोलियम पदार्थों के वर्गीकरण के बिन्दु संख्या 6 अवलोकनीय है:

पैट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरएण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लेश प्वाईंट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईंट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक तथा 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है। सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 1934 में दी छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 68/2021 अनवान् सरकार बनाम पवन सोनी [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 6ए में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ बिल [illegible] था। जो विलायक रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के खण्ड 2 के उपखण्ड छछ तथा झ के अनुसूची में शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं था। प्रकरण में इस अन्तर्गत 28800 तरल पदार्थ को राजसात किया गया है। उक्त प्रकरण में माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में दाण्डिक अपील संख्या 07/2022 पवन सोनी बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में निर्णय दिनांक 25.08.2022 में प्रार्थी की अपील खारिज की जाकर इस न्यायालय के राजसात संबधी निर्णय को बहाल रखा गया। उक्त दोनों निर्णय दिनांक 30.05.2022 एवं 28.08.2022 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी क्रिमिनल रिविजन पिटिशन संख्या 1405/2022 दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्ण्य दिनांक 24.05.2023 द्वारा प्रार्थी की रिट खारिज करते हुए उक्त दोनों निर्णयों को बहाल रखा गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि एलडीओ उक्त आदेश 2000 की अनुसूची में शामिल नही है इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। चूंकि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का फ्लैश प्वाईंट 89 अंश से.ग्रे. विधि विज्ञान प्रयोगशाला अनुसार पाया है जो पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग ग के अन्तर्गत आता है। अतः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी क्रिमिनल रिविजन पिटिशन संख्या 1405/2022 के निर्ण्य दिनांक 24.05.2023 अन्तर्गत प्रार्थी की यह दलील स्वीकार करने योग्य नही है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जवाब दिनांक 19.01.2024 को बिन्दु संख्या 04 व 05 अवलोकनीय है। बिन्दु संख्या 04 में प्रकरण में जब्तुशदा दोनों वाहनों में वीटीएस सिस्टम बंद करने के कारण कम्पनी द्वारा ट्रांसपोर्ट एवं ट्रक ड्राईवर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। परन्तु की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं की है जबकि जवाब में प्रति संलग्न होना उल्लेखित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि दोनों वाहन चालक/दोनों वाहन फर्मों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अवैधानिक तरीके से बेचान/भण्डारण/परिवहन करना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के जारी आदेश विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 की धारा 3 तहत बिना अनुज्ञप्ति के फ्लैश प्वाईंट 89°C वाले पेट्रोलियम पदार्थों की अर्जन/भण्डारण/विक्रय करना अवैधानिक है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 21.05.2023 के दृष्टांत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिये गये प्रावधानों के तहत वाहन संख्या आरजे 13 बी 5659 एवं आरजे 14 जीएच 5574 तथा दोनों वाहनों में भण्डारित क्रमशः 9000 तथा 19000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जावे और जब्तशुदा दोनों वाहनों पर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य अनुसार जुर्माना लगाया जावे।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास, अप्रार्थी संख्या 5—रिलायंस इण्डस्ट्री लिमिटेड के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भनोत एवं अप्रार्थी संख्या 6—राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिवक्ता श्री राजेश ग्रेवाल द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि श्री राकेश सोनी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बमराह प्रवर्तन स्टाफ के जाचं हेतु पहुंचे। मौके पर पुलिस चौकी, थर्मल के परिसर में दो वाहन टैंकर आरजे 13—जीबी/5659 एवं आरजे—14/जीएच 5574 खडे थे। उनके द्वारा जांच में पाया कि वाहन संख्या आरजे 13/जीबी 5659 का चालक नारायण सिह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजियासर तहसील सूरतगढ़ उपस्थित थे। श्री नारायण सिंह ने बताया कि उक्त वाहन में 24000 लीटर डीलज ऑयल भरा हुआ था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर से भरकर सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ में आपूर्ति देने हेतु लाया था। मौके परवाहन स... था। वाहन के वाल्व बॉक्स, लीवर बॉक्स एवं टैंकर के उपर ... रिलायंस मार्क की सील संख्या 873251 कुल 08 सील लगी थी। ... में खड़े दूसरे वाहन संख्या आरजे—14/5574 का चालक भवानी सिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झूझनू उपस्थित थे। श्री भवानी सिंह ने बताया कि उक्त वाहन में 24000 लीटर लाईट डीजल ऑयल भरा हुआ था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर से भरकर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में आपूर्ति देने हेतु लाया था। मौके पर वाहन सील बंद था। वाहन के वॉल्व बाक्स, लीवर बॉक्स एवं टैंकर के उपर बने पांचो कम्पार्टमेंट पर रिलायंस मार्क की सील संख्या 873218 कुल 08 सीले लगी थी। मौके पर दोनों वाहन चालकों द्वारा दोनों वाहनों के इनवाईस उपलब्ध करवाये गयें वाहन संख्या आरजे–13/जीबी 5659 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर द्वारा इनवाईस संख्या 24183001200776 दिनांक 24.03.2023 जारी किया जाकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रायांवाली, सूरतगढ हेतु रवाना किया जाना पाया। इस प्रकार वाहन संख्या आरजे–14/जीएच 5574 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर द्वारा इन्वाईस संख्या 24183001200867 दिनांक 24.03.2023 जारी किया जाकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन, रायांवाली, सूरतगढ़ हेतु रवाना किया जाना पाया। दोनों इनवाईस में भेजे जाने वाले सामान का नाम लाईट डीजल ऑयल बैंच संख्या एफ 3601 तथा मात्रा 24–24 केएल अंकित था। कार्यालय उप मुख्य अभियंता (सीएण्डएफ) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन रायावाली सूरतगढ से पत्र दिनांक 28.03.2023 से प्राप्त सूचना अनुसार बताया गया कि कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता (फ्यूल) जयपुर के पत्र दिनांक 12.12.2022 से मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड Village Meghpar/Padana, Taluka: lalpur, District Jamnagqar, Gujrat से लाईट डीजल ऑयल प्राप्त करने हेतु अनुबंध किया हुआ था। इस प्रकार सूरतगढ़ थर्मल चौकी से सूरतगढ़ से एलडीओ की जांच हेतु कार्यालय उप मुख्य अभियंता (सीएण्डएफ) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन रायावाली सूरतगढ़ के पत्र दिनांक 15.12.2022 से चार सदस्य जांच दल गठित था। थर्मल चौकी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में खड़े किये गये दोनो वाहनों के इनवाईस भी प्राप्त किये गये। सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ एवं थाना प्रभारी, पुलिस थाना राजियासर की इस सूचना पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर एवं बॉम्बे से कम्पनी का जांच दल आ रहा है। अतः आगामी कार्यवाही जांच दल के समक्ष किया जाना उचित होगा। दिनांक 01.04.2023 को रिलांयस इन्डस्ट्रीज के श्री संजीव श्रीवास्तव जीएम लोजेस्टीक श्री विशाल जोशी एरिया मैनेजर राजस्थान एवं श्री मनीष कृपलानी एरिया मैनेजर उपस्थित थे। परन्तु कंपनी के जांच दल ने जांच में किसी प्रकार का सहयोग नही किया। मौके पर दोनों वाहन चालक भी दिनांक 01.04.2023 के दौरान जांच उपस्थित नहीं थे। दोनों वाहनों के ट्रांसपोर्टरों के मैनेजर उपस्थित थे। जिनसे वाहनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। दोनों टैंकरों की जांच स्वतंत्र गवाह के साथ–साथ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ का चार सदस्यत जांच दल वाहन संख्या आरजे 14 / जीएच 5574 के ट्रांसपोर्टर मैसर्स बजरंगबली ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर श्री विजय मिश्रा पुत्र धर्मपाल मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 19 / जी–2 गहलोत नगर नागल जैसा बोरा निवासी जयपुर एवं वाहन संख्या आरजे–13 / जीबी 5659 के ट्रांसपोर्टर मैसर्स परम इन्टर प्राईजेज जामनगर के मैनेजर श्री राठौड रविराज सिंह पुत्र राठौड उम्मेद सिह जाति राजपूत उम्र 29 निवासी रणबांका हाउस दरबारसेरी, नजदीक महालक्ष्मी मन्दिर, सिमर तालुका उन, जिला गीर सोमनाथ, गुजरात एवं चौकी प्रभारी श्री पृथ्वीराज एवं प्रवर्तन स्टाफ की उपस्थिति में जांच शुरू की गई। वाहन संख्या आरजे–13 / जीबी 5659 के वाल्व बाक्स लीवर बाक्स टैंकर के उपर पांचों कम्पार्टमेंट पर रिलायंस मार्का की सील संख्या 873251 सही हालत में सीले लगी हुई थी। वाहन के पांच कम्पार्टमैंट में आगे से पीछे की ओर आने के क्रम में मार्क ए, बी, सी, डी, ई अंकित कि[illegible]को तोडने के बाद ट्रांसपोटर श्री राठौड रविराज सिंह द्वारा वाहन [illegible]से टैंकर के पांचो कम्पार्टमैंट से भरे पेट्रोलियम पदार्थों [illegible] सत्यापन करने पर 24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ सही मात्रा में पाया गया। क[illegible]र्टमैंट ए के पेट्रोलियम पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में पानी की जांच हेतु डीप रोड पर वारटर फाइंडिग पेस्ट लगाकर जांच करने पर कम्पार्टमैंट ए में प्रथम दृष्टया पानी होना पाया गया। इस प्रकार कम्पार्टमैंट बी एवं ई की जांच करने पर प्रथम दृष्टया पानी होना पाया गया। ये तीनों कम्पार्टमैंट 5000—5000 लीटर क्षमता के है। चूंकि प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थ में पानी पाये जाने पर नमूना लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पेट्रोलियम पदार्थ एवं संदिग्ध पानी युक्त पाये जाने पर दोनों वाहनों टैंकर संख्या आरजे—13 / जीबी 5659 एवं आरजे—14 / 5574 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर मौके पर ही चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार नमूना लेने के बाद बचा हुआ संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक वाहन का 23887.5 लीटर कुल 47775 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ कोभी मय उक्त दोनों वाहनों के चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर दोनों वाहनों की चाबी एवं वाहनों में लगाये गये तालों की छः चाबिया भी मौके पर ही चौकी प्रभारी, थर्मल श्री पृथ्वीराज की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार उक्त वर्णित व्यक्तियों व फर्मों द्वारा लाईट डीजल ऑयल में मिलावट एवं लाईट डीजल ऑयल के स्थान पर पानी का उपयोग / भण्डारण / आपूर्ति करने एवं उसमें सहयोग करने का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी विलायक, रेफिनेट, और स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा सामग्री 47775 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ मय 02 वाहन टैंकर संख्या आरजे—13 / जीबी 5659 एवं आरजे— 14 / जीएच 5574 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधि[illegible] इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्[illegible] बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्[illegible] की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रका[illegible] है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थीगण वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 के ई–वे बिल संख्या 6815420129763 दिनांक 24.03.2023 के अनुसार 24000 लीटर एलडीओ की कुल राशि 17,97,668.64 रूपये अदा करने का जारी है एवं वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 के ई–वे बिल संख्या 641542127217 दिनांक 24.03.2023 अनुसार 24000 लीटर एलडीओ की कुल राशि 17,97,668.64 रूपये अदा करने का जारी हैं। उक्त दोनों ई–वे बिल 24AAACR5055KIZD RELIANCE INDUSTRIES LIMITED द्वारा जारी किये गये है तथा दोनों ई–वे बिल में Place of Destination – NIGA MLIMITED SURATGARH SUPER THERMAL POWER SURATGARH, Rajasthan -335804 अंकित हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट संख्या RFSL(JOD)/2161/CAE/23/23 दिनांक 03.01.2024 के अनुसार उक्त दोनों वाहनों आरजे 13 जीबी 5659 एवं आरजे 14 जीएच 5574 में क्रमशः 9000 लीटर तथा 19000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा शेष 15000 लीटर तथा 6000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के स्थान पर पानी पाया गया है। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अप्रार्थी संख्या 5 ने भी अपने लिखित जवाब में उक्त टैंकरों में वी.टी.एस. सिस्टम लगा हुआ बताया है, जिससे टैंकरों की लोकेशन ज्ञात होती रहे। वाहन संख्या आरजे–13–सीजे–5656 की वी.टी.एस. ट्रैकिंग दिनांक 24.03.2023 को 19:08 बजे से और वाहन संख्या आरजे 14–जीएच–5574 की वी.टी.एस. ट्रैकिंग दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

27.03.2023 को 00:35 बजे बाद की दर्ज नहीं है, जिससे ड्राईवरों द्वारा जानबूझकर वी.टी.एस. सिस्टम बंद किया जाना बताया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का बेचान कर उसके स्थान पर टैंकर में पानी भर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का बेचान किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) .....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "ग" के 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थीगण 47775 लीटर तरल पदार्थ जब्त किया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 के ई–वे बिल संख्या 6815420129763 दिनांक 24.03.2023 के अनुसार 24000 लीटर एलडीओ की कुल राशि 17,97,668.64 रूपये अदा करने का जारी है एवं वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 के ई–वे बिल संख्या 641542127217 दिनांक 24.03.2023 अनुसार 24000 लीटर एलडीओ की कुल राशि 17,97,668.64 रूपये अदा करने का जारी हैं। उक्त दोनों ई–वे बिल 24AAACR5055KIZD RELIANCE INDUSTRIES LIMITED द्वारा जारी किये गये है तथा दोनों ई–वे बिल में Place of Destination – NIGA MLIMITED SURATGARH SUPER THERMAL POWER SURATGARH, Rajasthan -335804 अंकित हैं। जबकि दोनों ई–वे बिल में Place of Destination – NIGA MLIMITED SURATGARH SUPER THERMAL POWER SURATGARH, Rajasthan -335804 के गेट पर जांच करने में 9000 लीटर तथा 19000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा शेष 15000 लीटर तथा 6000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के स्थान पर पानी पाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने उक्त तरल पदार्थ **क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही** किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण**
>
> **(12) पत्रांक : पी–3 / जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग**
>
> (1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे वर्ग ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:42:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Class A : Hexane, NGL, Heptane

Class B : MTO, C-9, Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex

Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बागी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फलेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी र्ग छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

इस कार्यालय के **पूर्व प्रकरण संख्या** 68/2021 अनवान् सरकार/पवन सोनी अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के निर्णय दिनांक 30.05.2022 को जब्त किये गये 24880 कि.ग्रा. जीटीएल लाईट पैराफीन को विलायक, **रेफिनेट और** स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अन्तर्गत **फ्लैश प्वाईट 78^{0}C के आधार श्रेणी–"सी" का मानकर अनुज्ञा पत्र न होने के कारण राजसात करने का आदेश दिया गया था** जबकि **उक्त आदेश 2002 के पृष्ठ संख्या 179 के बिन्दु संख्या 7 पर दी गई अनुसूची (खंड 2 के उपखण्ड (छछ) और (झ)) पर नाम अंकित नहीं था,** फिर भी माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 01, श्रीगंगानगर में दांडिक अपील संख्या 07/2022 निर्णय दिनांक 25.08.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधुपर में प्रस्तुत एसबी पैटीशन संख्या 1405/2023 निर्णय दिनांक 24.05.2023 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2022 को सही माना और प्रार्थी की पैटीशन खारिज कर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एसबी क्रिमिनल रिविजन पैटीशन संख्या 1405/2022 में पारित निर्णय दनांक 24.05.2023 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **"It is revealing from the bare perusal of the order impugned that certain quantity of liquid commodity was recovered from the possession of the petitioner, for which, it was the case of the prosecution that the alleged act was done in contravention of point No.12 of the regulation. Admittedly, the commodity was recovered from the possession of the petitioner and the total quantity was 28,800 litre. As per the license and classification done; he was entitled to having possession of commodity not exceeding 5,000 litre only. The learned appellate court has dealt with the issue very prudently, in which, I see no reason for interference. There is no force in the present revision petition."**

चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का यह कथन कि उनसे जब्तशुदा पदार्थ एलडीओ को **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 अनुच्छेद संख्या 7 की अनुसूची (खंड 2 के उपखण्ड (छछ) और (झ) में अंकित नहीं है, इसलिए जब्तशुदा एलडीओ राजसात नहीं किया जा सकता। यह कथन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 24.05.2023 के प्रकाश में स्वीकार करने योग्य नहीं है। चूकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त पु[illegible]ाये जब्तशुदा पदार्थ भी उक्त आदेश 2000 की अनुसूची में [illegible] प्वाईट 78°से. को सही माना गया है। इससे स्पष्ट है कि जब्तशुदा तर[illegible] पदार्थ चाहे उक्त आदेश की अनुसूची में अंकित हो अथवा न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण से जब्तशुदा पदार्थ का एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 के अनुसार फ्लैश प्वाईट 89^{0}से. है जो आदेश 2002 के तहत पेट्रोलियम वर्गीकरण के आधार पर "श्रेणी सी" के अन्तर्गत आता है। जिसके लिए 5000 लीटर से अधिक भंडारण के लिए अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है। चूंकि उक्त प्रकरण में जब्त किये गये टैंकर संख्या आरजे 13 जीबी 5659 में 24000 लीटर में से 15000 लीटर पानी अर्थात 9000 लीटर तरल पदार्थ तथा टैंकर संख्या आरजे 14 जीएच 5574 में 24000 लीटर में से 5000 लीटर पानी अर्थात 19000 लीटर तरल पदार्थ पाया गया है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ई–वे बिल के आधार पर प्रत्येक टैंकर में 24000 लीटर एलडीओ दिया गया था। जबकि उक्त टैंकर संख्या आरजे 13 जीबी 5659 में 15000 लीटर पानी तथा टैंकर संख्या आरजे 14 जीएच 5574 में 5000 लीटर पानी पाया गया हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भी उक्त दोनों वाहनों के वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं क्योंकि उक्त दोनों ट्रैंकरो में 24000–24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ था। इस प्रकार उक्त दोनों वाहन चालकों द्वारा क्रमशः 15000 लीटर एवं 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध बेचान/खुर्द बुर्द किया गया हैं और इसके स्थान पर दोनों वाहन चालकों द्वारा 15000 लीटर एवं 5000 लीटर पानी भर दिया गया, जो क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 से इसकी पुष्टि होती है। जबकि इनके पास उक्त "श्रेणी सी" के पेट्रोलियम पदार्थ को अर्जन, भंडारण और विक्रय करने का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार विलायकों, रेफिनेंट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 की धारा 3 के तहत बिना अनुज्ञप्ति के अर्जन, भंडारण और विक्रय नहीं कर सकते थे।

इसलिए जब्तशुदा टैंकर संख्या आरजे 13 जीबी 5659 में 15000 लीटर पानी को छोड़कर 9000 लीटर तरल पदार्थ तथा टैंकर संख्या आरजे 14 जीएच 5574 में 5000 लीटर पानी को छोड़कर 19000 लीटर तरल पदार्थ का टैंकर राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 1405/2022 में फ्लैश प्वाईंट 78^{0}C के आधार पर जीटीएल लाईट पैराफीन को राजसात करने के आदेश को सही ठहराने के निर्णय दिनांक 24.05.2023 के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में जब्त किये गये पैट्रोलियम पदार्थ ''श्रेणी सी'' के फ्लैश प्वाईंट 89^{0}C को राजसात किया जाता है।

चूंकि उक्त राजसात किये गये वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5659 का बाजार मूल्य जब्ती दिनांक को 20,00,000/– रूपये एवं वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 का बाजार मूल्य जब्ती दिनांक को 15,00,000/– रूपये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्तशुदा वाहन पर, वाहन की बाजार कीमत के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।** चूंकि आरजे 13 जीबी 5659 का बाजार मूल्य जब्ती दिनांक को 20,00,000/– रूपये वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 का बाजार मूल्य जब्ती दिनांक को 15,00,000/– रूपये बताया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए आरजे 13 जीबी 5659 पर 18,00,000/– रूपये एवं वाहन संख्या आरजे 14 जीएच 5574 पर 13,50,0000/– जुर्माना आरोपित किया जाता है। **जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल पैटीशन संख्या 100/2022 अनवान् कनकश्री कैमिकल्स बनाम स्टेट में निर्णय दिनांक 13.12.2022 से राशि 3.50 लाख रूपये जमा करवाने पर ही राजसात किये गये वाहन को लौटाने के आदेश दिये है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त दोनों निर्णयों के प्रकाश में वाहन के सम्बन्ध में लगाई गई दोनों वाहनों की जुर्माना राशि क्रमशः 18.00 लाख एवं 13.50 लाख रूपये जमा करवाने पर ही लौटाया जा सकता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665,**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested